रजि. नं. 1231/2011

www.aarakshanmanch.com, E-mail: aarakshanmanch@gmail.com

अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान

डॉ. अम्बेडकर भवन, 13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.)

मा. भंवरलाल मेघवाल (माननीय मंत्री राज. सरकार) संरक्षक | यादराम मीणा (पूर्व मुख्य न्यायाधीश) संरक्षक | जे.पी.विमल (IAS Retd.) अध्यक्ष मो. 9414027400 | अनिल गोठवाल (RPS Retd.) वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो. 9414248454 | ई. आशाराम मीणा महासचिव मो. 9413380388

• उपाध्यक्ष: बी.एल. बैरवा, राजपाल मीणा, अशोक सामरिया, जे.के. महरडा, हनुमान सिरसी, हरसहाय मीणा, भैरूलाल मीणा
• कोषाध्यक्ष: अशोक मीणा
• सचिव: प्रभुलाल बैरवा
• संयुक्त सचिव: एस.के. बैरवा, श्रीमती अंजूरानी कराडिया, गणपति लाल, भगवान सिंह
• संगठन सचिव: रामचरण महावर, करतार सिंह, प्रकाश डगला, लक्ष्मीनारायण वर्मा, नरेन्द्र अवस्थी, रामरूप मीणा, रविन्द्र जाटव
• विधि प्रकोष्ठ: जी.एस. सोमावत, सतीश कुमार, सतपाल चांदोलिया, बाबूलाल बैरवा, आर.डी. मीणा, रमेश विमल
• महिला प्रकोष्ठ: श्रीमती गोमा सागर, श्रीमती अलका वर्मा
• प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ: रणजीत जाटव, सत्यनारायण जलुथरिया, छुट्टन लाल मीणा
• संभागीय कोर्डिनेटर: बी.एल. भाटी (जोधपुर), चेतराम रामपुरिया (अजमेर), शैलेन्द्र चौहान (उदयपुर), मनोहर लाल मीणा (कोटा), करण सिंह जाटव (भरतपुर), पी.एल. बुटोलिया (जयपुर)

क्रमांक.......................

दिनांक : 17/11/2019

सेवामें,

श्रीमान अशोक गहलोत जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

विषय :– पंचायती राज विभाग में "पंचायती राज विभाग कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013" के संबंध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि :–

1. तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग दिनांक 15.01.2013 में लिए गए निर्णय अनुसार पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया था।
2. पंचायती राज विभाग में मनरेगा तथा अन्य योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों व गैर संविदा कर्मियों का ध्यान रखते हुए 50 प्रतिशत संविदा कर्मियों से तथा 50 प्रतिशत पद गैर संविदा कर्मियों से भरे जाने का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था।
3. इस भर्ती में किसी प्रकार की परीक्षा आयोजित नही कर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में प्राप्तांको का 70 प्रतिशत भार तथा संविदा कार्मिक की सेवा अनुसार एक वर्ष की सेवा के लिए 10 प्रतिशत, दो वर्षीय सेवा के लिए 20 तथा तीन वर्ष से अधिक की सेवा के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत अंक देते हुए मेरिट का निर्धारण किया जाकर भर्ती की जाने का निर्णय लिया गया था।
4. दिनांक 18.03.2013 तथा संशोधित विज्ञप्तिनुसार कुल पद 21733 पदों की भर्ती के लिए विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी तथा इनको उक्त विन्दु संख्या 3 के अनुसार 50 प्रतिशत संविदा कर्मियों से तथा 50 प्रतिशत पद गैर संविदा कर्मियों से भरना था।
5. किन्तु विभाग द्वारा 21733 पदों में से केवल 9246 पदों पर ही नियुक्तियॉं दी गई जिसमें 98 प्रतिशत संविदा कर्मियों को ही नियुक्ति दी गई गैर संविदा कर्मियों को भर्ती व नियुक्ति देने से वंचित कर दिया गया तथा भर्ती प्रक्रिया को लम्बित कर दिया गया।
6. संविदा कर्मियों की भर्ती में आरक्षण नही होने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति के कार्मिक नगण्य होते हैं ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग में पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत लिपिक में अनु.जाति जन जाति का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा।
7. उक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार निर्णयानुसार उक्त भर्ती में 50 प्रतिशत गैर संविदाकर्मी की नियुक्ति दी जाती तो आधे पदों में अनु/जाति जन जाति को प्राप्त आरक्षण से नियमानुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होता।

Cont..

कार्यकारिणी सदस्य : श्री दिनेश चंद, जगराम मीणा, महेन्द्र वर्मा, किशन लाल एदलपुर, नवल किशोर बैरवा, होती लाल मीणा, कैलाश मीणा, सुभाष राठौड़, श्रीनारायण चन्द्रावल, अशोक कुमार मीणा, लक्ष्मीनारायण बैरवा ... महावीर प्रसाद खड़कवाल, नीरज तौंगरिया, रामस्वरूप मीणा

Scanned by CamScanner

ल यादराम मीणा (पूर्व मुख्य न्यायाधीश) संरक्षक | जे.पी.विमल (IAS Retd.) अध्यक्ष मो. 9414027400 | अनिल गोठवाल (RPS Retd.) वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो. 9414248454 | ई. आशाराम मीणा महासचिव मो. 9413380388

क्रमांक........................ दिनांक :........................

8. इस भर्ती प्रक्रिया के तुरन्त बाद मार्च 2013 में लोकसभा चुनाव होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को आस्थागित कर दिया तथा बाद में वसुन्धरा सरकार द्वारा पूरे कार्यकाल 2013–2018 में इस मामले में कोई निर्णय नही लिया और भर्ती अभी तक भी लम्बित है।

9. कुल 21733 पदों में से 8747 संविदा कर्मी तथा 579 गैर संविदा कर्मी की ही भर्ती की गई तथा शेष 10029 पदों पर भर्ती की जानी बाकी है। यदि इन पदों पर नियुक्ति दी जाती है तो अनु. जाति, जनजाति के कुल 6085 युवाओं को नियुक्ति तथा रोजगार मिलेगा।

महोदय, उपरोक्त भर्ती के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए निर्णयानुसार समस्त पदों की विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई थी लेकिन अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से अनु. जाति जन जाति के युवाओं को भर्ती से बाहर रखने के लिए केवल कुछ संविदा कर्मियों की ही भर्ती की गई। वित्त विभाग द्वारा पूर्व में आवश्यक पदों की स्वीकृति जारी भी कर दी गई थी किन्तु जानकारी में आया है कि पंचायती राज विभाग द्वार इन पदों पर भर्ती को अनावश्यक रूप से लंबित रखे जाने के लिए पुनः वित्त विभाग को पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। इस सम्बन्ध में इस भर्ती हेतु योग्य अभ्यर्थियों द्वारा आपसे मुलाकात कर भर्ती करने की मांग किऐ जाने पर आपके द्वारा इस भर्ती को शीघ्र कराए जाने का आश्वासन दिया गया था।

अतः अनुसूचित जाति जन जाति आरक्षण मंच निवेदन करता है कि उपरोक्त लंबित मामले में युवाओं की बेरोजगारी विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए शेष आवेदकों की पूर्व में स्वीकृत पदों के अनुसार नियुक्ति दिऐ जाने हेतु कृपया पंचायती राज विभाग को निर्देशित करने का श्रम करें।

17.11.19

जे.पी.विमल (IAS Retd.)
अध्यक्ष

Scanned by CamScanner